E-Signed

2012/00009

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर ,जालोर

पीठासीन अधिकारी

छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण सं.

40/2012

प्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये
सायला, जिला जालोर

बनाम

अप्रार्थी:–
1.चेला पुत्र संग्रामा,कौम साकिन
वीराणा (फौत) के तहसीलदार
का.मु.:–
1/1.आशाराम पुत्र चेलाराम(फौत)
के कायम मुकाम :–
1/1/1.श्रीमति रगूदेवी पत्नि
चेला
1/1/2..घेवाराम पुत्र चेला
1/1/3.रमेशकुमार पुत्र चेला
1/1/4.विकेशकुमार पुत्र चेला
1/2.करणाराम पुत्र चेलाराम
1/3.जेठाराम पुत्र चेलाराम
1/4.मीठाराम पुत्र चेलाराम
1/5.छगनलाल पुत्र चेलाराम
1/6.अजाराम पुत्र चेलाराम
1/7.झमूदेवी पत्नि चेलाराम
गटाराम पुत्र हुकमा
2.कमलादेवी पत्नि मांगीलाल,
कौम माली,निवासी वीराणा

प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थिति:–
1.श्री छोटूसिंह , विद्वान सरकारी अभिभाषक ,प्रार्थी की ओर से।
2.श्री गोकुलराम ,विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी के कायम मुकाम 1/2की ओर से।
3.अप्रार्थी सं.1/1/1से 1/1/4 , 1/3से 1/7 व 2 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 25.11.2019

1. प्रार्थी तहसीलदार सायला ने यह रेफरेन्स प्रार्थनापत्र सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी सं.1 को दिनांक 23.6.1971 को ग्राम सायला, तहसील सायला के खसरा नम्बर 922रकबा 18 बीघा 15बिस्वा, किस्म गैरमुमकिन

वाला में से 3बीघा 10बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था ,उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 3034,3087/3626 रकबा क्रमशः 0.17, 0.39 हेक्टर किस्म क्रमशः चाही उतम व चाही सोयम बने है। आवंटित भूमि की किस्म गैरमुमकिन वाला है जो आवंटन योग्य नही है। हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट जनहित याचिका सं. 1536/2003अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय के अनुसार इस प्रकार के आवंटन /नियमन जो गैर मुमकिन वाला में किये गये है ,निरस्त किये जाने है । अप्रार्थी सं.1 को आवंटन की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन वाला है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत् प्रतिबंधित भूमि है । इस प्रकार अप्रार्थी सं.1 को किया गया आवंटन नियम विरूद्ध है। अतः अप्रार्थी सं.1को दिनांक 23.6.1971को ग्राम सायला के गत खसरा नम्बर 922 किस्म गैरमुमकिन वाला में से 18बीघा 15बिस्वा, जिसके हाल खसरा नम्बर 3084रकबा 0.17 हेक्टर व 3087/3626 रकबा 0.39 हेक्टर है, का किया गया आवंटन एवं इसके आधार पर राजस्व रैकार्ड में आज तक किये गये सभी इन्द्राजात् को निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर को रेफरेन्स किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी के कायम मुकाम को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी के कायम मुकाम सं.1/2की ओर से उनके अभिभाषक श्री गोकुलराम उपस्थित आये जिन्होने दिनांक 5.7.19 से 22.10.2019 करीब 3 माह तक कोई जवाब पेश नही किया है।

अप्रार्थी सं.2 ने दिनांक 9.11.2012 को जवाब पेश किया कि उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज दिनांक 2.12.2005 से खरीद की है जिसमें किसी प्रकार का पानी का वाला नहीं है,इसके काश्त की जाती है,अतः रेफरेन्स की कार्यवाही ड्रोप करावे।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई , प्रार्थी की ओर से विद्वान सरकारी अभिभाषक ने बहस में बताया कि अप्रार्थी को आवंटन की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन वाला है जो आवंटन योग्य नही है। इस प्रकार अप्रार्थी को किया गया आवंटन नियमों के विपरीत है। अतः रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे व अप्रार्थी को किये गये आवंटन आदेश व उसके आधार पर आज तक भरे गये नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स किया जावे। इसके विपरीत अप्रार्थी सं.1/2–करणाराम के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि अप्रार्थी सं.1/2–करणाराम के पिता अप्रार्थी सं.1--चेला को मौजा सायला के गत खसरा नम्बर 922 रकबा 18बीघा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन वाला में से 3बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था, आवंटन से आज तक अप्रार्थी व उसके बाद उसके कायम मुकाम

का कब्जा काश्त चला आ रहा था ,उक्त भूमि अप्रार्थी सं.2 ने जरिये रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज दिनांक 2.12.2005 से खरीद की है, वर्तमान में यह भूमि चाही उतम व बारानी सोयम है जिस पर अप्रार्थी सं.2 का कब्जा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारीज फरमावे।

4. अप्रार्थी को गैर मुमकिन वाला में किया गया आवंटन नियमों के विपरीत होने से आवंटन आदेश व इसके आधार पर तहसीलदार सायला द्वारा स्वीकत किये गये नामान्तरकरण सं. 816 दिनांक 7.1.1972(किस्म परिवर्तन का नामान्तरकरण), 848दिनांक 19.6.1972 (नियमन का नामान्तरकरण) व 107दिनांक 31.1.1996(कायम मुकाम का नामान्तरकरण),ग्राम सायला के चक नं.2 का नामान्तरकरण सं. 421दिनांक 5.1.2006(खरीददार के नाम नामान्तरकरण), निरस्त करने हेतु रेफरेन्स करना आवश्यक है।

5. अतः प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को रेफरेन्स कर निवेदन हैं कि ग्राम सायला, तहसील सायला के खसरा नम्बर 922रकबा 18बीघा 15बिस्वा किस्म गैर मुमकिन वाला की किस्म परिवर्तन बी प्रथम कर उसमें से 3बीघा 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं.1—चेला को दिनांक 23.6.1971 को आवंटन किया गया था, उक्त खसरा नम्बर 922 के हाल खसरा नम्बर 3084,3087/3626 रकबा क्रमशः 0.17 व 0.39 हेक्टर किस्म चाही उतम व बारानी सोयम बने है। अतः आवंटन आदेश व उसकी पालना में भरे गये ग्राम सायला के नामान्तरकरण संख्या 816/7.1.1972, 848/19.6.1972 ,107/31.1.1996,ग्राम सायला चक नं.2 के नामान्तरकरण सं. 421/5.1.2006 निरस्त कर उक्त भूमि पूर्वानुसार गैर मुमकिन वाला दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे। पक्षकारान् पैरवी हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में तारीख पेशी 25.2.2020 को उपस्थित रहे।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

आदेश, आज दिनांक 25.11.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.13 18:05:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: